समाज के उपेक्षित वर्गो के उत्थान में डॉ0 अम्बेडकर

डॉ0 अभय प्रताप सिंह*

डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक समरसता एवं सामाजिक न्याय के पोषक थे। इनका जन्म भी उन दिनों हुआ था जब अछूत कही जाने वाली जातियों में जन्म लेने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को विशेष प्रकार के काले कानूनों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चलना, तालाब व कुंओं से पानी लेना, विद्यालयों एवं मंदिरो में प्रवेश करना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अछूत स्त्रियों को काफी अपमानित बेइज्जत किया जाता था अछूत को देश भर में गांव के बाहर रहना होता था। विद्यालय के दिनों में डॉ0 अम्बेडकर जी को बराबर अपमानित होना पड़ा था। ऐसी ही प्रकार की हिन्दू जाति व्यवस्था के कारण अनगिनत अपमानों ने डॉ0 अम्बेडकर जी के ह्रदय पटल पर अमिट छाप छोड़ी। इसीलिए बाबा साहब ने सोच समझकर गौतम बुद्ध संत कबीर तथा ज्योतिबाराव फूले जैसे विभूतियों की प्रेरणा लेकर दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अन्ततः बाबा साहब भारतीय संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को मूल अधिकार दिलाने में सफल हुए और यह व्यवस्था किया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग भेद आय तथा जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद करने पर रोक लगा दिया गया यदि कोई ऐसा करता है तो कानून के माध्यम से दण्डित किया जायेगा। इस प्रकार इस व्यवस्था के तहत यह वर्णित किया गया कि विधि के समक्ष सभी आदमी समान होंगे।

बाबा साहब महिलाओं तथा श्रमिकों को न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होने बम्बई विधान सभा में स्वतंत्र सदस्य की हैसियत से एक प्रस्ताव रखा कि नौकरीपेशा और कामकाजी महिलायें मॉ वाली हों उन्हें तीन माह का अवकाश+मजदूरी व वेतन के साथ दिया जाये। इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने पास कर कानून बनवाया जो प्रसूति अवकाश बिल के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार श्रम मांत्रित्व काल में उन्होंने पुरूषों के समान महिलाओं को मजदूरी देने का प्रावधान तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने हिन्दू धर्मशास्त्रों विशेषकर मनुस्मृति की तीव्र आलोचना की क्योंकि इन धर्मशास्त्रों में नारियों को समाज में नीचा स्थान देकर उन्हें गुलाम जैसा बना दिया गया तथाशिक्षा और सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित रखा गया है। इसीलिए उन्होंने अस्थायी संसद में हिन्दू कोड बिल पास कराने की कोशिश की। इस बिल का प्रमुख उदेश्य स्त्रियों और पुरूषों को बराबर के अधिकार देना था। अम्बेडकर ने संसद में विधेयक को प्रस्तावित करते समय कहा था मैं इस सदन से केवल यही अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आप हिन्दू व्यवस्था, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो जहॉ मरम्मत की आवश्यकता है वहॉ मरम्मत कीजिए। इस विधेयक का उदेश्य हिन्दू धर्म के उन भागों की मरम्मत भर करना है जो टूट–फूट गये हैं। परन्तु अस्थायी संसद के कट्टरपंथी नेताओं जिनमें डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जैसे लोग सम्मिलित थे ने विरोध कर हिन्दू कोड बिल चार भागों में बंटवा दिया। जैसे–हिन्दू मैरेज एक्ट 1955 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 हिन्दू सक्सेशन एक्ट1956 (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956) हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 (हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956) हिन्दू अल्पपवस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956, इन चारों भागों में हिन्दू कोड बिल का मूल विचार एवं सिद्धांत समाहित है।

अम्बेडकर जी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे क्योंकि इनका मानना था कि बगैर शिक्षा अपने समाज का कल्याण संभव नहीं है इसीलिए उन्होने 1945 में पिपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसके अन्तर्गत दलित वर्गो के लिए शैक्षिक संस्थानो की स्थापना करना था। इस संस्था के माध्यम से 1946 में बम्बई में सिद्धार्थ कालेज तथा 1951 ई0 में मिलिन्द महाविद्यालय की स्थापना की।

अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए अनेक छात्रावासों की स्थापना की, ये छात्रावास महाराष्ट्र में पावेल, पुणे, नासिक, शोलापुर और ठाणे जैसे नगरों में और कर्नाटक में धारवाड़ जैसे नगर में खोले गये

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजा श्रीकृष्ण दत्त पी जी कालेज जौनपुर

थे। इन्हें खोलने के लिए अम्बेडकर जी ने जनता से दान तथा नगर पालिकाओं और जिला बोर्डो से अनुदान भी प्राप्त किया था। इन छात्रावासों में दलित छात्रों को मुफत रहने और खाने की सुविधा थी।

20 जुलाई 1924 को अम्बेडकर ने दलित वर्गों की उन्नति के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की इस सभा का मुख्य लक्ष्य दलित वर्गों के बीच शिक्षा, संस्कृति तथा आर्थिक विकास करना था। अम्बेडकर ने अछूतों के हित में सामाजिक एकता प्राप्त करने के लिए अनेक सत्याग्रह किये जिनमें महाड़ सत्याग्रह और नासिक सत्याग्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाड़ सत्याग्रह का उद्देश्य यह प्रमाणित करता था कि अछूतों को भी सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार है। नासिक सत्याग्रह ने सिद्ध किया कि अछूत भी मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं। इन सत्याग्रहों के फलस्वरूप अछूतों को यह अनुभव हो गया कि यदि वे मिल–जुलकर सामूहिक आधार पर कार्य करें तो उनकी शक्ति कितनी बढ़ सकती है।

इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर समाज में उपेक्षित वर्गो के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किये । उनका मानना था कि जिस कार्य से हम लोगों को समाज में उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है उस कार्य को हमारे समाज के लोगों को छोड़ देना चाहिये। इससे यह लाभ होगा कि जिस कार्य के वजह से हमें उपेक्षा की निगाह से लोग देखते हैं। वे भी उस कार्य करने के लिए विवश होंगे मतलब समानता का भाव स्थापित होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय सवंधिान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से अपने समाज के दुःखों को दूर करने का प्रयास किया जिसका परिणाम वर्तमान समाज में अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, राष्ट्रपति तथा अनेक उच्च पदस्थ स्थानों पर दलित समाज के लोगों को देख सकते हैं। फिर भी इन सबके बावजूद महात्मा फूले एवं बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने जिस सामाजिक न्याय की संकल्पना की है, वह अभी तक पूर्णतः सफलीभूत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारतीय दलित समाज आज भी विभिन्न प्रकार की यातनाएं भुगत रहा है तथा दूसरे धर्म वाले उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं।

सन्दर्भ :

1 अम्बेडकर टुडे, दिसम्बर, 2005, पृ0 5,8,10।
2 धनंजय कीर : डॉ0 अम्बेडकर, लाईफ एण्ड मिशन, पृष्ठ 202।
3 धनंजय कीर : डॉ0 अम्बेडकर, लाईफ एण्ड मिशन, 1981 पृष्ठ 329।
4 समाजिकी, खण्ड 4, अंक 1, 1983, उत्तर प्रदेश समाज शास्त्र परिषद पृ0, 27–33।
5 मधुलिये, डॉ0 अम्बेडकर एक चिन्तन, पृ0 109।
6 मयूरी गुप्ता : 'जाति जनगणना और जनता', राष्ट्रीय क्राइम नजर–2010।